

विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2024 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री पवन कुमार सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-37 का उत्तर।

प्रश्न

37- (क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर में विकास खण्ड-सकरन के अन्तर्गत ग्राम सभा-मोहारी में मोहारी रोड से गनेशीलाल के मकान तक की दूरी जो लगभग 700 मी० है, का रास्ता अत्यन्त खराब है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है?

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समस्या के निदान हेतु इंटरलाकिंग मार्ग का निर्माण करायेंगे?

(ग) यदि हां, तो कब तक?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

प्रश्नगत मार्ग की कुल दूरी लगभग 370 मीटर है। इस मार्ग का 200 मी० छोड़कर 170 मी० भाग पूर्णतः आबादी के अन्दर है जिसे पंचायतीराज अनुभाग-3 उ०प्र० शासन लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनोंक 31 जुलाई 2015 के अनुसार ग्राम पंचायत को जो धनराशि / अनुदान निर्माण कार्यों के लिए दी जाती है उससे उसी ग्राम पंचायत के अन्दर कार्य सम्पन्न कराये जायें, के निर्देश एवं जिला पंचायतें प्राप्त विभिन्न अनुदानों से एक से अधिक ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने वाले कार्यों को सम्पादित करायेंगी के निर्देश दिये गये हैं। जिला पंचायत की आगामी बोर्ड बैठक में आबादी के बाहर 200 मी० भाग के निर्माण का प्रस्ताव रखा जायेगा। बोर्ड के निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

170 मी० पर इंटरलाकिंग व नाली कार्य पर ₹० 15 लाख व्यय होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली धनराशि से प्राथमिकता के आधार पर अनुपूरक कार्ययोजना में सम्मिलित करते हुए कार्य करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

ओम प्रकाश राजभर
मंत्री।